

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 8554/52/2016/वयन

इन्दौर, दिनांक 27-AUG 2016

// विज्ञप्ति //

विषय : आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2014/ दिनांक 24.12.2014 में राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा-2014 के अंतर्गत सहायक यंत्री (सिविल), सहायक यंत्री (विद्युत), सहायक यंत्री (यांत्रिकी), सहायक कृषि यंत्री लिखित परीक्षा के परिणाम पश्चात् अभिलेख प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश ।

00 - ---

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2014/ दिनांक 24.12.2014 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के तहत सहायक यंत्री (सिविल), सहायक यंत्री (विद्युत), सहायक यंत्री (यांत्रिकी), सहायक कृषि यंत्री पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था । उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 12.08.2016 को घोषित किया गया है । लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट WWW.mppsc.com एवं WWW.mppsc.nic.in से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म एवं उपस्थिति पत्रक की प्रति डाउन लोड कर ले ।

02/ निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक 18.09.2016 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करना अनिवार्य है :-

01. व्यक्तिगत विवरण पत्रक : एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।
02. अनुप्रमाणन फार्म :- एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।
03. हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
04. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी यांत्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि, कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी । उक्त अर्हताएं विज्ञापित पद अनुसार है । आवेदकों को प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची/ स्थाई उपाधि की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
05. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति, उक्त प्रमाण पत्र में क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक एवं गोल सील अंकित होना अनिवार्य है, साथ ही जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की शील अंकित होना अनिवार्य है ।
06. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति । जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक दर्ज होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र केवल 30.09.16 शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया ही मान्य होगा ।
07. पहचान प्रमाण पत्र (मतादाता परिवय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियुक्ता द्वारा जारी परिवय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) ।
08. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

09. ऑन लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।

03/ आवेदकों द्वारा भेजे गये समस्त प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की जावेगी, जिसमें यह देखा जावेगा कि आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते हैं अथवा नहीं, आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त जो आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जावेगा । साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार पत्र पृथक से भेजे जावेंगे । साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों को साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्नानुसार प्रस्तुत की जाना होगी :

01. हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंकसूची ।
02. विज्ञापित अर्हताओं की प्रत्येक सेग्रेटर की अंकसूची/स्थाई उपाधि की प्रति ।
03. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति ।
04. राक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की प्रति ।
05. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति) ।
06. व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 05 छायाप्रति, अनुप्रमाणन फार्म की 02 मूल प्रति, उपस्थित पत्रक की 01 प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।

04/ पैरा 2 में उल्लेखित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में आयोग को नहीं भेजे जाते हैं या आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जावेगा कि आप साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं एवं आपकी उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी ।

05/ पैरा 2 में उल्लेखित दस्तावेज दिनांक 18.09.2016 (शाम 05:30 बजे) तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, अगर डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश आपके द्वारा भेजे गये अभिलेख निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आयोग को प्राप्त होते हैं तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जावेगी ।


स्टाफ आफिसर